जिला कलक्टर भीलवाड़ा

27/6/2018- उभयपक्ष के अधिवक्ता उप०। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं०1 के द्वारा अप्रार्थी सं०2 द्वारा जारी पट्टे की आड में हमारी खातेदारी एवं रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है। रिपोर्ट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी सं०1 व 2 के द्वारा निवेदन किया कि पंचायत के द्वारा विधिवत पट्टा किया है उसी पर हमारा कब्जा होकर मौके पर निर्माण विधिवत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दि० 18/6/2018 से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा व जमाबन्दी ग्राम भदालीखेड़ा की आ०न० 646 रकबा 0.2403 है० किस्म गैमु० रास्ता है जिसमे उक्त रास्ते की भूमि तथा प्रार्थी की ग्राम भदालीखेड़ा में आ०न० 641/1 641/2 व 641/3 खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमियों में से 2½ गज भूमि ग्राम पंचायत आरजिया पं० स० सुवाणा द्वारा अप्रार्थी सं०1 के नाम जारी पट्टे में सम्मिलित होना पाया जाता है जिसका अप्रार्थी सं०1 को किसी प्रकार से उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व दि० 6/6/2018 को जारी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अन्तिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल निगरानी के निर्णय तक यथावत रखा जाता है। अर्थात ग्राम भदालीखेड़ा की आ०न० 641/1, 641/2, 641/3 की 4½ गज भूमि एवं आ०न० 646 के रकबा 0.2403 हे० में 3 गज भूमि की मौका की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रेकर्ड हो।

ज़िला कलक्टर
भीलवाड़ा